प्राथमिकता

संख्या- मं0 59/9-8-2016-58ज/2016

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव/सचिव,**
   पर्यावरण विभाग/गृह विभाग/श्रम विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/पंचायतीराज/पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. **पुलिस महानिदेशक,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **निदेशक,**
   स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सदस्य सचिव,
   उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
5. **मुख्य वन संरक्षक,**
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. **खाद्य सुरक्षा आयुक्त,**
   सेन्ट्रल फूड सैफ्टी एण्ड स्टेण्डर्स अर्थारिटी आफ इण्डिया के प्रतिनिधि।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 24 मई, 2016

विषयः मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सिविल संख्या-309/2003, लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में गठित "राज्य स्तरीय समिति" के निर्णयों का कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन सिविल संख्या-309/2003, लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 22.12.2014 विषयक निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 07 जनवरी, 2015 के प्रस्तर-2 में पशुवधशालाओं के निरीक्षण व सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पशुवध होने के सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण करने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश प्रसारित किये गये हैः-

(1)- पशुवधशालाओं को जितने पशुओं के कटान किये जाने का लाइसेंस दिया गया है, उनके द्वारा उससे अधिक पशुओं का कटान तो नहीं किया जा रहा है।

(2)- पशुओं का पोस्टमार्टम एवं एन्टीमार्टम किया जा रहा है अथवा नहीं।

(3)- पशुवधशालाओं में जितने पशुओं का कटान किया जा रहा है, मानक के अनुसार उतने पशु- चिकित्साधिकारी पशुवधशालाओं में तैनात हैं अथवा नहीं। यदि उतने पशु चिकित्साधिकारी

GO R

तैनात हैं तो क्या उनके द्वारा नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि मानक के अनुसार एक पशु चिकित्साधिकारी एक घंटे में अधिकतम 12 पशुओं का ही परीक्षण कर सकता है, इस प्रकार 8 घंटे में अधिकतम एक पशु चिकित्साधिकारी 96 पशुओं का ही परीक्षण कर सकता है। अतः निरीक्षण में यह देखना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या उन पशुवधशालाओं में मानक के अनुसार उतने ही पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं अथवा नहीं। इन पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का रिकार्ड भी देखा जाय। पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्यातोन्मुखी पशुवधशालाओं में निजी पशु चिकित्सक भी तैनात रहते हैं।

2- प्रश्नगत मामले में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि निजी क्षेत्रों की स्थापित पशुवधशालाओं में मनमाने तरीके से छापेमारी की जा रही है तथा छापेमारी हेतु न तो शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाती है और न ही छापेमारी के पश्चात वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जाता है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी पशुवधशाला के निरीक्षण के पूर्व नगर विकास विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली जाय तथा अनुमति प्राप्त होने पर सम्बन्धित पशुवधशाला में छापा मारा जाय एवं छापेमारी में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर 08 घंटे के अन्दर नगर विकास विभाग को संस्तुति सहित अवगत कराया जाय। छापेमारी के आदेश 24 घंटे के अन्दर ही प्रभावी होंगे, उससे अधिक नहीं ।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

24/5/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-मं058 (1)/नौ-8-14तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री जफर अमीन 'डक्कू' निवासी खोखर टोला, पोस्ट गीता प्रेस, जनपद गोरखपुर एवं श्री मनवीर सिंह, चिकारा, आवास विकास कालोनी-1 टेम्पों स्टैण्ड अमरोहा, मा0 सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

GO R